

911



2

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व संहल ग्वालियर कैम्प भोपाल
प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2016

निग - 3309- II 16

- 01. विद्या बाई पति श्री सुरली आयु वयस्क
 - 02. सुरली आ. श्री किशन आयु वयस्क
- सोनी निवासी श्यामपुर तहसील व जिला
सीहोर म0प्र0 I.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

सुनील कुमार आ. श्री नारान सिंह आयु वयस्क
विद्याबाई श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0 I.....रेस्पॉण्डेंट

श्रीमान् जी के 20/9/16
को क्रम 2016/11/16
श्रीमान् जी
20/9/16
2/5C

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.सं.वि. 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 16/08/2016 प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/15-16 पारित
श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

- 01. प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/15-16 तहसीलदार महोदय तहसील
श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0 दिनांक 16/08/2016 सीमांकन
प्रकरण नाम श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0

श्रीमान् जी,
निगरानीकर्ता आदेश दिनांक 16/08/2016 से दुखी एवं प्रभावित होकर
प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/15-16 से प्रभावित एवं दुखी होकर निम्न निगरानी अधिनियम
समय सीमा में प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद नियत समय सीमा में प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पॉण्डेंट द्वारा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत
जाकर विधि विरुद्ध तरीके दुषित आदेश पारित कराते हुये प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/15-16
के माध्यम से संलग्न पंचनामे एवं प्रतिवेदन दिनांक 16/08/2016 को आधार बनाकर
अवैधानिक सीमांकन धारा 129 म.प्र.भू.सं. 1959 के विपरीत जाकर अद्विधा कृषकों एवं
निगरानीकर्ता को विधिवत सूचना पत्र जारी किए बगैर राजस्व प्रक्रिया के विपरीत जाकर

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी- 3309-दो/16

जिला-सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिषेक आदि के हस्ताक्षर
9-5-17 भोपाल	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं। आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	